न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.... माथी देवी .... बनाम .... रघुनाथ सिंह ....

किस्म मुकदमा .... २२५ .... मु. नं0 .... वर्ष ....2018....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14-6-18	अपील दर्ज रजिस्टर हो । बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने ए प्रार्थना पत्र पेश कर मूल दावे की पत्रावली को तलब करने का पेश किया जिसमें प्रकरण के काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस कारण मूल दावे की पत्रावली का तलब करने का निवेदन किया ।अपीलान्ट ने यह अपील धारा-212 राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की हैं जिसमें अदालत मातहत ने अपने निर्णय में सभी दस्तावेजों का अवलोकन करते हुये अपना आदेश पारित किया है। इस कारण प्रकरण में मूल दावे की पत्रावली मंगाई जाकर अदालत मातहत की कार्यवाही को रोका जाना उचित नहीं मानते है । इस कारण प्रार्थना पत्र मूल दावे की पत्रावली मंगाने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है । विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट की बहस एव अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया अदालत मातहत में आराजी ख0नं0 65, 67, 68, 69, 103 से 106, 109 कुल किता-9 रकबा 7.18 हैक्टर ग्राम चारणकाबास उर्फ गंगाबिशन का बास तहसील सीकर के बाबत एक दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र आर0टी0एक्ट की धारा-212 का पेश कर दौराने दावा विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने मौका सूरत नहीं बदलने, आराजी का अन्तरण बेचान नही करे तथा तहसीलदार को इस आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । अदालत मातहत मे उभयपक्षो की साक्ष्य सबूत लेकर विधिवत सुनवाई करते हुये धारा-212 के तीनों बिन्दूओं प्रथम दृष्टया	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अनुसार पारित किया है । जिसमे दावे के निर्णय तक उभयपक्षों को वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही मानते बल्कि अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर खारिज कर निर्णीत किया जाना उचित मानते हैं । अतः बाद अवलोकन अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) खण्डेला का निर्णय दिनांक 21-3-2018 को यथावत रखा जाता है । निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14-6-18 को मेरे द्वारा सुनाया गया । 14/6/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	